

‘‘बिजनेस पोस्ट’ के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.’’

पंजीयन क्रमांक ‘‘छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.’’



छत्तीसगढ़ राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 321]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 नवम्बर 2007—अग्रहायण 1, शक 1929

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-7/खाद्य/2005/29.—यतः छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की राय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की पर्याप्त मात्रा की उपासि के प्रयोजन के लिए तथा देश में अन्य अभाव वाले राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राज्य में अधिशेष चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर चावल की उपासि हेतु यह आवश्यक तथा समीचीन है।

अतएव, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (10 सन् 1955) की धारा 3 एवं 5, सहपठित भारत सरकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता (खाद्य विभाग) के आदेश क्र. जी. एस. आर. 800 दिनांक 9 जून, 1978 भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले का विभाग) द्वारा जारी (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टाक सीमा और संचालन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2003 क्र. जी. एस. आर. 490 (ई) दिनांक 16 जून, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पत्र क्रमांक 6 (C G)/2/2001-Py. 111 दिनांक 1 नवंबर 2007 तथा अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक 6 (C G)/2/2001-Py. 111 दिनांक 16 नवंबर 2007 द्वारा दी गई पूर्व सहमति से एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ—

(1) यह आदेश छत्तीसगढ़ चावल उपासि (उद्ग्रहण) आदेश, 2007 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।
 (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2 परिभाषाएं- इस आदेश में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (10 सन् 1955);
 (ख) "कलेक्टर" से अभिप्रेत है, जिले का कलेक्टर एवं इसमें शामिल है ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो राज्य शासन द्वारा इस आदेश के अंतर्गत कलेक्टर के समस्त या किसी कार्य को संपादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ग) "कस्टम मिलिंग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार, भारत सरकार, अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान को प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम हेतु भारत सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मिलरों से चावल में परिवर्तित कराना;

(घ) "ब्योहारी" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई व्यक्ति, भागीदार फर्म, संगम (एसोसिएशन) या कोई पंजीकृत निकाय जो धान अथवा चावल का विक्रय करने के लिए उसके क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय या भंडारण के कारोबार में लगा हुआ है, चाहे वह थोक विक्रेता या 500 किलोट्रॉन मासिक से अधिक का कारोबार करने वाला फुटकर विक्रेता या उत्पादक या विनिर्माता या निर्यातकर्ता या आयातकर्ता हो और चाहे वह किसी अन्य कारोबार में सहयोजित हो या नहीं और इसके अंतर्गत उसके प्रतिनिधि या अभिकर्ता भी हैं;

(इ) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण छत्तीसगढ़;

(च) "प्रवर्तन अधिकारी" से अभिप्रेत है, खाद्य निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अधिकारी अथवा उपनिरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का पुलिस अधिकारी;

(छ) "उद्ग्रहण" से अभिप्रेत है, इस आदेश के खंड 3 अथवा 4 के अंतर्गत मिलर एवं ब्योहारी द्वारा चावल का अनिवार्य विक्रय;

(ज) "उद्ग्रहण मूल्य" से अभिप्रेत है, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम हेतु चावल की उपासि के लिए निर्धारित मूल्य;

(झ) "मिलर" से अभिप्रेत है किसी चावल मिल का स्वामी या भारसाधक कोई व्यक्ति;

(ञ) "क्रय अधिकारी" से अभिप्रेत है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल के क्रय हेतु नियुक्त प्राधिकारी या व्यक्ति अथवा राज्य सरकार द्वारा चावल के क्रय हेतु नियुक्त प्राधिकारी या व्यक्ति जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित करें;

(ट) "चावल" से अभिप्रेत है, शक्ति से चलित राईस मिल में धान का छिलका निकाल कर उत्पादित या निर्मित चावल की कोई किस्म और इसमें शामिल है स्टाक में धारित धान के समतुल्य चावल;

(ठ) "चावल मिल" से अभिप्रेत है, संयत्र और मशीन जिससे कि राईस मिलिंग संचालन की कार्यवाही की जाती है और इसमें शामिल है वह परिसर एवं परिसीमा जिसमें या जिसके किसी भाग में राईस मिलिंग संचालन की कार्यवाही की जाती है;

(ड) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;

(ढ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

3 मिलर से उद्ग्रहण -

(1) प्रत्येक मिलर कस्टम मिलिंग को छोड़कर उसके द्वारा उत्पादित या निर्मित अरवा चावल की कुल मात्रा का कम से कम 50 प्रतिशत क्रय अधिकारी को अरवा चावल के रूप में उद्ग्रहण मूल्य पर खंड 6 में उल्लिखित रीति से विक्रय करेगा;

(2) प्रत्येक मिलर कस्टम मिलिंग को छोड़कर उसके द्वारा उत्पादित या निर्मित उसना चावल की कुल मात्रा का कम से कम 50 प्रतिशत क्रय अधिकारी को अरवा अथवा उसना चावल के रूप में उद्ग्रहण मूल्य पर खंड 6 में उल्लिखित रीति से विक्रय करेगा;

(3) उपर्युक्त (1) एवं (2) के अंतर्गत क्रय अधिकारी को विक्रय किए जाने वाले चावल की गुणवत्ता प्रत्येक खरीफ विषयन मौसम हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार होगी.

4 व्योहारी से उद्ग्रहण -

(1) प्रत्येक व्योहारी, विक्रय प्रदाय या निर्यात के लिए क्रय अर्थवा आयात किए गए चावल, अथवा विक्रय प्रदाय या निर्यात के लिए क्रय अर्थवा आयात किए गए धान से निर्मित चावल के स्टाक की कुल मात्रा का कम से कम 50 प्रतिशत क्रय अधिकारी को उद्ग्रहण मूल्य पर खंड 6 में उल्लिखित रीति से विक्रय करेगा;

(2) उपर्युक्त (1) के अंतर्गत क्रय अधिकारी को विक्रय किए जाने वाले चावल की गुणवत्ता प्रत्येक खरीफ विषयन मौसम हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार होगी.

5 मिलर तथा व्योहारी द्वारा त्रैमासिक विवरणी -

(1) प्रत्येक मिलर उसके द्वारा क्रय किए गए या अन्यथा प्राप्त किए गए धान, मिलर के पास उपलब्ध धान तथा चावल के स्कंध, एवं मिलर द्वारा मिल किए गए धान की जानकारी देते हुए संचालक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक त्रैमासिक विवरणी कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा;

- (2) प्रत्येक ब्योहारी उसके द्वारा क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, भंडारण, विनिर्माण, आयात अथवा निर्यात किए गए धान एवं चावल की जानकारी देते हुए संचालक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक त्रैमासिक विवरणी कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा;
- (3) प्रत्येक मिलर एवं ब्योहारी उपखंड 2 एवं 3 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई विवरणी में इस आदेश के तहत उसके द्वारा देय लेवी की मात्रा की गणना भी प्रस्तुत करेगा।

6 लेवी परिदान की प्रक्रिया -

- (1) मिलर्स तथा ब्यौहारी खंड 5 के अंतर्गत प्रस्तुत विवरणी के अनुसार क्रय अधिकारी को खंड 3 एवं 4 में दी गई मात्रा में लेवी का चावल विक्रय करेंगे;
- (2) क्रय अधिकारी वही चावल स्वीकार करेंगे जिसकी गुणवत्ता संबंधित खरीफ विपणन मौसम हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार होगी;
- (3) चावल के भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार होने के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में क्रय अधिकारी यथासंभव मिलर या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में चावल के तीन प्रतिनिधि नमूने लेकर सीलबंद करेगा तथा इनमें से एक नमूना मिलर या उसके प्रतिनिधि को सौंप देगा और दो नमूनों को विश्लेषण के लिए भारतीय खाद्य निगम की प्रयोगशाला को भेज देगा एवं इन नमूनों के विश्लेषण का परिणाम दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।

7 मिलिंग पर निर्बंधन -

- (1) राज्य सरकार एवं उसकी कोई एजेंसी तथा भारत सरकार एवं उसकी कोई एजेंसी किसी भी मिलर से कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंध कर सकेगी;
- (2) कलेक्टर किसी भी मिलर को ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों पर, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं, राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी तथा भारत सरकार या उसकी किसी एजेंसी द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित एवं धारित धान के किसी भी स्टाक की कस्टम मिलिंग करने के निर्देश दे सकेगा;

परन्तु कलेक्टर किसी भी मिलर को उसकी वार्षिक मिलिंग क्षमता के एक तिहाई से अधिक की कस्टम मिलिंग करने के निर्देश इस उपखंड के अंतर्गत नहीं देगा;

- (3) कलेक्टर द्वारा उपखंड (2) के अंतर्गत निर्देश दिए जाने पर संबंधित मिलर के लिए यह बंधनकारी होगा कि वह अन्य किसी धान की मिलिंग के पूर्व कलेक्टर द्वारा निर्देशित कस्टम मिलिंग पूर्ण करे।

8 छूट -

- (1) राज्य सरकार केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस आदेश के सभी या कुछ प्रावधानों के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट प्रदान कर सकेगी, और किसी भी समय ऐसी छूट को वापस ले सकेगी.
- (2) राज्य सरकार केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस आदेश के सभी या कुछ प्रावधानों के प्रवर्तन से धान अथवा चावल की किसी प्रजाति को छूट प्रदान कर सकेगी, और किसी भी समय ऐसी छूट को वापस ले सकेगी.

9. प्रवेश, तलाशी, जप्ती आदि की शक्तियां -

- (1) कोई प्रवर्तन अधिकारी, इस आदेश के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए या यह समाधान करने की वृष्टि से कि इस आदेश का पालन किया गया है-
 - (क) किसी चावल मिल या अन्य किसी स्थान जहां उसे विश्वास करने का कारण हो कि चावल उत्पादित या स्टाक किया जाता है, या धान स्टाक किया जाता है, ऐसे सहायकों के साथ, जो आवश्यक हों, प्रवेश कर सकेगा,
 - (ख) किसी भी व्यक्ति से समस्त आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा,
 - (ग) किन्हीं भी पुस्तकों का या दस्तावेजों का परीक्षण कर सकेगा,
 - (घ) मिलर अथवा ब्योहारी द्वारा धारित चावल एवं धान के स्टाक के संबंध में ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा, जैसी कि इस आदेश के अंतर्गत लेवी आंकलित करने के लिए आवश्यक हों,
 - (ड) तलाशी ले सकेगा और तलाशी के उद्देश्य के लिए जहां तक आवश्यक हो, किसी भी व्यक्ति को रोक कर रख सकेगा और ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पाए गए चावल एवं धान को जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश के किन्हीं भी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है जप्त कर सकेगा और इसके पश्चात् ऐसे समस्त उपाय कर सकेगा या उनका पालन किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा जो कि इस प्रकार जप्त चावल के स्टाक का न्यायालय में अथवा कलेक्टर के समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तथा इस प्रकार पेश करने के लिए तथा इस प्रकार का पेश किए जाने तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक हो.

- 10 शास्ति - यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के किसी भी उपबंध, अथवा इस आदेश के अंतर्गत जारी किए गए किसी आदेश या निर्देश, अथवा इस आदेश के अंतर्गत किए गए किसी अनुबंध का उल्लंघन करेगा तो वह अधिनियम की धारा 7 के अधीन दण्ड का भागी होगा.

11 चावल अथवा धान का राजसात किया जाना - खंड 10 के अंतर्गत किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कलेक्टर संबंधित मिलर, ब्योहारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति से खंड 9 के अंतर्गत जप्त किए गए धान एवं चावल का संपूर्ण स्टाक शासन के पक्ष में राजसात कर सकेगा।

12 अभिलेखों का संधारण - प्रत्येक मिलर एवं ब्योहारी द्वारा धान एवं चावल एवं धान के अभिलेखों का संचालक द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारण किया जाएगा।

13 अपील -

- (1) प्रवर्तन अधिकारी अथवा क्रय अधिकारी द्वारा लेवी अथवा कस्टम मिलिंग के संबंध में की गई किसी कार्यवाही से व्यक्तित्व व्यक्ति आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकेगा;
- (2) कलेक्टर द्वारा जारी आदेश से व्यक्तित्व व्यक्ति आदेश जारी होने की 30 दिवस के भीतर राज्य शासन को अपील कर सकेगा।

14 आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करने का कर्तव्य - प्रत्येक मिलर, ब्योहारी या अन्य व्यक्ति, सक्षम अधिकारी द्वारा इस आदेश के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जारी प्रत्येक आदेश या निर्देश का पालन करेगा।

15 निरसन तथा व्यावृति - इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-7/खाद्य/2005/29, दिनांक 17 जून 2005 द्वारा बनाया गया छत्तीसगढ़ चावल उपास्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 2005 इस आदेश के प्रभावशील होने के दिनांक से विखंडित किया जाता है।

परन्तु ऐसे निरसन में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छत्तीसगढ़ चावल उपास्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 2005 के अधीन जारी किया गया कोई आदेश इस आदेश के अधीन जारी किया गया समझा जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, उप-सचिव,

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 4-7/खाद्य/2005/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंबंधित अधिसूचना दिनांक 22 नवम्बर, 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, उप-सचिव,

Raipur, the 22nd November 2007

NOTIFICATION

No. F 4-7/Food/2005/29.—Whereas the Governor of Chhattisgarh is of opinion that for the purpose of procuring adequate quantities of the rice for Public Distribution System and for the purpose of securing the surplus rice available in the State for meeting requirements of other deficit States in the country it is necessary and expedient to procure rice within the State of Chhattisgarh.

Now therefore, in exercise of the power conferred by section 3 and 5 of the Essential Commodities Act-1955 (10 of 1955) read with the order of the Government of India, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Food) No. G.S.R. 800 dated 9th June 1978, Removal of (Licensing Requirement, Stock limits and Movement Restrictions) Order, 2003 No. G.S.R. 490 (E) dated 16th June 2003 issued by Government of India Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), the state government here by makes the following Order, with prior concurrence of Government of India vide Letter No. 6(CG)/2/2001-Py.111 dated 1st November 2007, and D.O. No. 6(CG)/2/2001-Py.III dated 16th November 2007 of Government of India, Ministry of Consumer Affairs Food & Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely: -

1 Short title extent and commencement –

- (1) This order may be called the Chhattisgarh Rice Procurement (Levy) Order 2007.
- (2) It extends to the whole of the state of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the "Official Gazette".

2 Definitions - In this order unless the context otherwise requires-

- (a) "Act" means Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);
- (b) "Collector" means the Collector of the district and includes any other officer authorised by the State Government to perform all or any of the functions of the Collector under this Order;
- (c) "Custom Milling" means conversion of paddy procured under price support scheme by State Government, Government of India or any agency of the State Government or Government of India into rice

by millers as per norms fixed by Government of India for each Kharif Marketing Season;

- (d) "Dealer" means any person, partnership firm, association or registered body, engaged in the business of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale of paddy or rice, whether as a wholesalers or retailer having transaction of more than 500 quintal in a month or producer or manufacturer or exporter or importer, whether or not in conjunction with any other business and includes his representatives or agents;
- (e) "Director" means Director of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Chhattisgarh;
- (f) "Enforcement Officer" means an officer of the Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department of the State Government not below the rank of Food Inspector or a police officer not below the rank of the Sub Inspector;
- (g) "Levy" mean compulsory sale of rice by millers and dealers under clause 3 or clause 4 of this order;
- (h) "Levy Price" means price of rice for levy fixed by Government of India for each Kharif Marketing Season;
- (i) "Miller" means the owner or any person in charge of a rice mill;
- (j) "Purchase Officer" means any authority or person appointed by the Food Corporation of India, or any authority or person appointed by the State Government as notified in the official gazette from time to time by the State Government;
- (k) "Rice" means any variety of rice produced or manufactured by de-husking paddy in a mill worked by power, and includes rice equivalent of paddy held in stock;
- (l) "Rice Mill" means the plant and machinery with which, and the premises including precincts thereof in which, or in any part of which rice milling operation is carried on;
- (m) "State" means State of Chhattisgarh;
- (n) "State Government" means Government of Chhattisgarh.

3 Levy on millers –

- (1) Every miller shall sell raw rice to the purchase officer at levy price at least 50 percent of the total quantity of raw rice prepared or produced by him except rice prepared or produced for custom milling according to the procedure given in the clause 6;
- (2) Every miller shall sell either raw or parboiled rice to the purchase officer at levy price at least 50 percent of the total quantity of parboiled rice prepared or produced by him except rice prepared or produced for custom milling according to the procedure given in the clause 6;

(3) Quality of rice to be sold to purchase officer under sub clause (1) and (2) shall be as per the specifications fixed by the Government of India for each Kharif marketing season.

4 Levy on dealers –

- (1) Every dealer shall sell to the purchase officer at levy price at least 50 percent of the total quantity of rice purchased or imported by him for sale, supply or export, or rice produced for sale, supply or export from paddy purchased or imported by him according to the procedure given in the clause 6;
- (2) Quality of rice to be sold to purchase officer under sub clause (1) and (2) shall be as per the specifications fixed by the Government of India for each Kharif marketing season.

5 Quarterly return by miller and dealer –

- (1) Every miller shall submit a quarterly return to the Collector in a format prescribed by the Director giving information of Paddy purchased or Procured in any other manner, stocks of Paddy and rice available with the miller and Paddy milled by the miller;
- (2) Every dealer shall submit a quarterly return to the Collector in a format prescribed by the Director giving information of purchase, transport, sale, supply, storage, manufacture, import and export of the paddy and rice;
- (3) Every miller and dealer shall also submit the calculation of the quantity of levy payable by him under this order along with the return submitted under sub clause (2) and (3).

6 Procedure of Giving Levy –

- (1) Miller and Dealers shall sell to the purchase officer levy rice according to the return submitted under clause 5 in quantity given in clause 3 and 4;
- (2) Purchase officer shall accept rice only of the quality which is as per the specifications fixed by the Government of India for each Kharif marketing season.
- (3) In the event of a dispute regarding the quality of rice being as per the specifications fixed by Government of India, the purchase officer shall take three representative samples of rice and seal them as far as possible in the presence of miller or his representative and give one sample to the miller or his representative, and send two samples for analysis to the laboratory of Food Corporation of India, and the result of this analysis shall be binding on both parties.

7 Restrictions on milling –

- (1) State Government and any of its agencies and Government of India and any of its agencies may enter into an agreement with any miller for custom milling;

(2) Collector may at any time on such terms and conditions as may be notified by the State Government from time to time direct any miller to custom mill paddy procured and held in stock under price support scheme by the State Government or any of its agencies or Government of India or any of its agencies;

Provided that the Collector shall not direct any miller to custom mill more than one third of his annual milling capacity under this sub clause.

(3) On being directed by the Collector under sub clause (2) it shall be binding on the miller to complete the custom milling directed by the Collector before milling any other paddy.

8 Exemption –

- (1) State Government may with prior concurrence of the Central Government, by a general or special order, exempt any person or class of persons from any or all provisions of this order, and may at any time revoke or cancel such exemption.
- (2) State Government may with prior concurrence of the Central Government, by a general or special order, exempt any variety of paddy or rice from any or all provisions of this order, and may at any time revoke or cancel such exemption.

9 Powers of Entry, Search and Seizure etc –

- (1) Any Enforcement Officer may, with a view to securing compliance with the provisions of this Order or to satisfying himself that this Order has been complied with, –
 - (a) enter, with such assistance as may be necessary any rice mill or other premises where he has reason to believe that rice is produced or stocked,
 - (b) ask of any person all necessary questions,
 - (c) examine any books or documents,
 - (d) call for the submission of such returns relating to the stocks of paddy and rice held by miller or dealer as may be necessary for assessment of levy under this order,
 - (e) search, and so far as may be necessary for the purpose of search detain any person and seize rice and paddy found in the possession of such person with respect to which he has reason to believe that contravention of any of the provisions of this Order has been, is being or is about to be committed and thereafter take or authorise the taking of all measures necessary for the production of stocks, so seized in a court or Collector and for their safe custody, pending such production.

10 Penalty - If person contravenes any provision of this order or any order or instruction issued under this order or any agreement made under this order, he shall be liable for punishment under section 7 of the Act.

11 Confiscation of Rice or Paddy - Without any prejudice anything contained in clause 10 of, in the event of any contravention of the provisions of this order, Collector may confiscate entire stock of paddy or rice seized under clause 9 from a miller, a dealer or any other person.

12 Maintenance of records - Every miller and dealer shall maintain records of paddy and rice in a format prescribed by the Director.

13 Appeal -

- (1) Any person aggrieved by an action of the Enforcement officer or purchase officer regarding levy or custom milling may appeal to the Collector within 30 days of the date of receipt of the order.
- (2) Any person aggrieved by an order of the Collector may appeal to the State Government within 30 days of the date of receipt of the order.

14 Duty to comply with Orders and directions - Every miller, dealer or any other person shall comply with all orders and directions issued by competent authority under powers conferred by this Order.

15 Repeal and Savings - Chhattisgarh Rice Procurement (Levy) Order 2005, made by Notification No. 4-7/Food/2005/29, dated 17th June, 2005 of this Department is hereby repealed from the date of coming into force of this Order.

Provided that notwithstanding anything contained in such repeal, any order issued under the Chhattisgarh Rice Procurement (Levy) Order 2005 shall be deemed to have been issued under this Order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
P. S. TIWARI, Deputy Secretary.

